

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री प्रेम कुमार पिता गंदौरी साव, श्रीमति पिंकी देवी पति प्रेम कुमार और श्रीमति सुनीता देवी पति गनौरी साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रेयाती) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं: 839, 845, 846, 850, 851, 852, 2065, 2067, 2081, 2086/2549, 2094, 2098, 2111(P), 2254 & 2102(P), कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_emi_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रेयाती) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं: 839, 845, 846, 850, 851, 852, 2065, 2067, 2081, 2086/2549, 2094, 2098, 2111(P), 2254 & 2102(P), कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के तहत श्री प्रेम कुमार पिता गंदौरी साव, श्रीमति पिंकी देवी पति प्रेम कुमार और श्रीमति सुनीता देवी पति गनौरी साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Chm/
2010572122